कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

—ज्ञापन—

कमांक क/भू–अर्जन/01/अ–82/2016–17 जगदलपुर दिनॉक 2/2/। 2017

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

विषय :– भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन ।

—0000—

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर द्वारा बड़े कनेरा – कमेला– छुरावण्ड मार्ग के कि0मी01/4 पाहण्डी नाला सेतु एवं पॅहूच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम छुरावण्ड , पटवारी हल्का नम्बर 01–सालेमेटा, राजस्व निरीक्षक मण्डल भानपुरी, तहसील बस्तर जिला बस्तर की निजी भूमि रकबा 0.40 हेक्टयर अधीग्रहण किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः भमि–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) संबंधी अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है । कृपया अधिसूचना कलेक्टर बस्तर के बेवसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अमित कटारिया)
कलेक्टर,
बस्तर जिला

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2016-17 जगदलपुर दिनॉक 2/2/2017

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

— अनुसूची —

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बस्तर	बस्तर	छुरावण्ड/01	50/1	0.40	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर	बड़े कनेरा - कमेला- छुरावण्ड मार्ग के कि0मी 0 1/4 पाहण्डी नाला सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु
	योग :-		01	0.40		

2/ यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता,लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा /आपत्ति लिखित में अनुविभागीय अधिकारी(रा0)/ भू-अर्जन अधिकारी बस्तर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप- धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा ।

3/ भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर / कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3/ प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अमित कटारिया)
कलेक्टर जिला बस्तर
एव पदेन उप सचिव,छत्तीसगढ़
शासन राजस्व विभाग

Scanned by CamScanner